मूल हिंदी में

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 778
17 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

आरओ वॉटर प्यूरीफायर का उपयोग

778. श्री सी॰पी॰ जोशीः
श्री संगम लाल गुप्ताः
क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कई शहरी क्षेत्रों में स्थित घरों में आरओ वाटर प्यूरीफायर सिस्टम लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महानगरों में आरओ सिस्टम में जल शोधन के दौरान बर्बाद होने वाले पानी की मात्रा का अनुमानित प्रतिशत कितना है;

(ग) उक्त प्रक्रिया के दौरान पानी में मौजूद कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के नुकसान का प्रतिशत कितना है; और

(घ) क्या सरकार को उक्त प्रक्रिया के दौरान पानी और पोषक तत्वों के नुकसान की जांच करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी हां।

(ख) रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) सिस्टम से निकलने वाला अवशेष, निवेश्य जल और पर्मिऐट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है । अवशेष की मात्रा आरओ सिस्टम के आकार और उद्देश्य के आधार पर 1 से 3 लीटर प्रति लीटर के मध्य हो सकती है ।

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(घ) "फ्रेंडस थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी वर्सिस मिनिस्ट्री ऑफ वाट रिसोर्सिस" नामक 2015 के ओ.ए. संख्या 134 के मामले में, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने दिनांक 20.05.2019 के आदेश के अंतर्गत, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम टोटल डिस्सोल्वड सॉलिड (टीडीएस) की मात्रा वाले आर ओ सिस्टम से तैयार होने वाले पेय जल के उपयोग को निषिद्ध करने के लिए एक समुचित अधिसूचना जारी करे और जहां भी आर ओ अनुमत है, वहां 60 प्रतिशत से अधिक जल की वापसी हेतु अपेक्षा निर्धारित की जाए ।

उक्त ओदश के अनुसरण में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेम्ब्रेन आधारित वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के नियमन हेतु मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है ।

****